

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश,
प्रगति भवन, तृतीय तल, एम.पी.नगर, जोन-1, भोपाल
दूरभाष 0755-2674206, 2674248 फ़ैक्स 0755-2766315

क्रमांक/संरक्षण/137/ 4431

भोपाल, दिनांक 23-8-2012

प्रति,

✓ भूमिका एनिमल ब्रीडर्स फ़ार्म,
56, श्याम नगर, बरखेड़ा पठानी,
भोपाल (म.प्र.)

विषय:- खरगोश (Rabbit) (अंगोरा, ग्रे जाइंट, व्हाइट जाइंट, न्यूजीलैंड ब्राउन/व्हाइट/
बलैक/फलेमिस/केलिफोर्निया) पालने/प्रजनन, मांस विक्रय एवं परिवहन की
अनुमति देने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र दिनांक 30.06.2012

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत यह लेख है कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की
अनुसूची में Rabbit (*Oryctolagus cuniculus* एवं *Chinchilla breviculata*) नाम की कोई प्रजाति
सम्मिलित नहीं की गई। आपके द्वारा विषयांकित खरगोश प्रजातियों के पालन हेतु अनापत्ति
प्रमाण पत्र चाहा गया है। उक्त उल्लेखित प्रजातियाँ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के
अधीन नहीं आती हैं। अतः इन खरगोश प्रजातियों के संबंध में इस कार्यालय से कोई कार्यवाही
अपेक्षित नहीं है।



यस
23-8-2012
(डॉ० पी.के. शुक्ला)

मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ० क्रमांक/संरक्षण/137/ 4432

भोपाल, दिनांक 23-8-2012

प्रतिलिपि :- वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

यस
23-8-2012
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
(P. K. Shukla) मध्यप्रदेश, भोपाल